रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082024-256042
CG-DL-E-03082024-256042

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2957] नई दिल्ली, शुक्रवार , अगस्त 2, 2024/श्रावण 11, 1946
.No. 2957] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 2, 2024/SHRAVANA 11, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2024

का.आ. 3099 (अ).-जबकि, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के द्वारा यथाअपेक्षित जनता कि जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित करती है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, वह लिखित रूप में, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को भेज सकता है अथवा उसे diriapolicy-moefcc@gov.in पर ई-मेल पते पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

जबकि, भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इसकी अनुसूची में शामिल परियोजनाओं (जिसे इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में जाना जाएगा) के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) की आवश्यकता के संबंध में, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के का.आ.1533(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी;

और जबकि, केंद्रीय सरकार ने दिनांक 28/03/2020 की अधिसूचना का.आ. 1224 (अ) के तहत जारी की गई उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-IX में संशोधन किया है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ सड़क, पाइपलाइन आदि जैसी रैखिक परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी की निकासी या सोर्सिंग या प्रयोग करना और बांधों, तालाबों, मेंडों, बैराजों, नदी और नहरों के संरक्षण, रखरखाव और आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालने हेतु पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने से छूट प्रदान की जा सके, जैसा कि मद 6 और 7 में बताया गया है।

और जबकि, माननीय एनजीटी ने ओए संख्या 160/2020 में नोबल एम पैकाडा बनाम भारत संघ के मामले में दिनांक 28/10/2020 के आदेश द्वारा मंत्रालय को तीन महीने के भीतर दिनांक 28/03/2020 की विवादित अधिसूचना पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है।

और जबकि, माननीय एनजीटी के आदेश के अनुपालन में, विवादित अधिसूचना पर फिर से विचार करने के लिए, मामले को संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसके बाद ईएसी कहा जाएगा), गैर-कोयला खनन और ईएसी, नदी घाटी और जलविद्युत परियोजनाएं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समक्ष विचार-विमर्श के लिए रखा गया था। ईएसी की अनुंशसाओं के आधार पर, मंत्रालय ने रैखिक परियोजनाओं के लिए मिट्टी युक्त क्षेत्र से साधारण मिट्टी की निकासी के लिए ईआईए अधिसूचना, 2006 की प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए दिनांक 08/08/2022 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया और मिटटी युक्त क्षेत्र को अभिज्ञात करने, इसके संचालन, सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का पालन और पुनर्विकास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। इसके अलावा, दिनांक 12/07/2023 के कार्यालय ज्ञापन के तहत एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था जिसमें दिनांक 28/03/2020 की अधिसूचना का.आ. 1224 (अ) के तहत बांधों, तालाबों, मेडों, बैराजों, नदी और नहरों के संरक्षण, रखरखाव और आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालने हेतु पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने से छूट प्रदान की जा सके।

और जबकि, याचिकाकर्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष नोबल पैकाडा बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में सिविल अपील संख्या 1628-1629/2021 दायर की और मामले में सुनवाई के आधार पर, केंद्रीय सरकार ने दिनांक 30/08/2023 की अधिसूचना का.आ. 3840 (अ) द्वारा उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-IX के मद 6 और 7 के प्रावधानों में संशोधन किया, जिसमें कहा गया कि प्रदान की गई छूट समय-समय पर इस संबंध में जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के अनुपालन के अधीन होगी। इसके अलावा, केंद्रीय सरकार ने दिनांक 21/08/2023 को एक कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया, जिसमें नियामक अधिकारियों को दिनांक 08/08/2022 और 12/07/2023 के कार्यालय ज्ञापन के तहत प्रदान की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं।

और जबकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 1628-1629 / 2021 नोबल एम. पैकाडा बनाम भारत संघ ने दिनांक 21/03/2024 के अपने निर्णय के द्वारा दिनांक 28/03/2020 की अधिसूचना

का.आ.1224 (अ) और दिनांक 30/08/2023 के का.आ. 3840 (अ) का हिस्सा बनने वाले प्रतिस्थापित परिशिष्ट-IX की मद 6 को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर रद्द कर दिया है कि दिनांक 28/03/2020 की अधिसूचना अस्पष्ट है और "रैखिक परियोजनाओं" को परिभाषित नहीं करती है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि कौन सी परियोजनाएं उपरोक्त अधिसूचना के प्रावधानों के तहत योग्य हैं और यह उस क्षेत्र को भी निर्दिष्ट नहीं करता है जहां से और कितनी मात्रा में साधारण मिट्टी आदि हटाई जा सकती है। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 30.08.2023 के का.आ. 3040(अ) द्वारा जारी संशोधनों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि इसमें यह निर्णय लेने का अधिकार विनिदिष्ट नहीं है कि क्या एक रैखिक परियोजना मद 6 के अंतर्गत आती है, और साथ ही मानक प्रचालन प्रकिया तथा सुरक्षा उपाय जारी करने के प्राधिकार निर्दिष्ट नहीं किया गया था और इन मानक प्रचालन प्रकिया तथा सुरक्षा उपायों को लागू करने का प्रावधान और उत्खनन की जा सकने वाली मिट्टी की मात्रा आदि भी निर्दिष्ट नहीं की गई थी।

और जबकि, केंद्रीय सरकार ने संबंधित मंत्रालयों और विशेषज्ञों के परामर्श से मामले की जांच की है और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 21/03/2024 के अपने निर्णय के माध्यम से सड़क, पाइपलाइनों आदि जैसी रैखिक परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी के निष्कर्षण या सोर्सिंग या प्रयोग करने हेतु पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी लेने से छूट देने संबंधी सभी मुद्दो का समाधान किया।

अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की दिनांक 14 सितम्बर, 2006 अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, परिशिष्ट-IX में-

(क) क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

6. परिशिष्ट XIV में उपबंध किए गए कार्यतंत्र के अध्यधीन रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी का निष्कर्षण या सोर्सिंग या उपयोग करना।

(ख) परिशिष्ट-XIII के बाद, निम्नलिखित परिशिष्ट XIV अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात :-

परिशिष्ट XIV

(परिशिष्ट IX का क्रम संख्या 6 देखें)

क. पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) के बदले साधारण मिट्टी के निष्कर्षण या सोर्सिंग या उपयोग के लिए पर्यावरणीय सुरक्षोपायों की परिभाषा और प्रयोज्यता

(I) रेखीय परियोजनाओं की परिभाषा

इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, रैखीय परियोजनाओं को इस अधिसूचना की अनुसूची की मद 7(च) के तहत शामिल सड़क और राजमार्ग परियोजना और मद 1(क) के उप पैरा(ii) और 6(क) के तहत शामिल की गई पाइपलाइनों के रूप में परिभाषित किया गया है।

(II) पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के बदले रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी के निष्कर्षण या सोर्सिंग या उपयोग के लिए पर्यावरणीय सुरक्षोपायों की प्रयोज्यता, जिसके लिए 20,000 घन मीटर की आरंभिक सीमा से अधिक साधारण मिट्टी का निष्कर्षण/सोर्सिंग/उपयोग अपेक्षित होता है।

ऊपर परिभाषित रेखीय परियोजनाएं, जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अपेक्षित नहीं होता है, के संबंध में पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) के बदले में साधारण मिट्टी के निष्कर्षण या सोर्सिंग या उपयोग के लिए इस परिशिष्ट में उपबंध की गई मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) अनुपालन किया जाएगा। रेखीय परियोजनाओं, जिन पर पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की अपेक्षा की शर्त लागू होती है, के लिए साधारण मिट्टी के निष्कर्षण या सोर्सिंग या उपयोग के लिए अपेक्षित पर्यावरणीय सुरक्षोपाय, पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए ऐसी रेखीय परियोजना के मूल्यांकन के समय केन्द्र या राज्य स्तर पर, जैसा भी मामला हो, संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और इन्हें ऐसी रेखीय परियोजना के लिए प्रदान की गई पर्यावरणीय मंजूरी में शामिल किया जाएगा।

ख. रेखीय परियोजनाओं, जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी अपेक्षित नहीं होती है, के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा 20,000 घन मीटर की आरंभिक सीमा से अधिक साधारण मिट्टी के निष्कर्षण या सोर्सिंग या उपयोग के लिए एसओपी

(I) निष्कर्षित की जाने वाली साधारण मिट्टी की मात्रा तय करने का प्राधिकार :

*i. निम्नलिखित समिति, नीचे पैरा II में उल्लिखित विभिन्न मानदंडों के आधार पर किसी विशेष परियोजना के लिए **निष्कर्षित की** जाने वाली साधारण मिट्टी की इष्टतम मात्रा संबंधी निर्णय लेगी:*

(i) एसडीएम, यदि परियोजना एक उप-प्रभाग तक सीमित है *(ii) जिला कलेक्टर या न्यूनतम जिला स्तर अधिकारी के रैंक का उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि, परियोजना के एक से अधिक उप-प्रभागों में व्याप्त होने के मामले में*	*अध्यक्ष*
जिला वन अधिकारी या उनके नामिती	*सदस्य*
अध्यक्ष, एसपीसीबी द्वारा प्राधिकृत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी	*सदस्य*
उस क्रम में जिले में सहायक निदेशक या उप निदेशक या जिला खान अधिकारी या भूविज्ञानी	*सदस्य-सचिव*

iii. रेखीय परियोजना, जिसके लिए साधारण मिट्टी का निष्कर्षण, सोर्सिंग, उपयोग अपेक्षित होता है, का परियोजना प्रस्तावक, साधारण मिट्टी की अपेक्षित मात्रा के लिए उपर्युक्त समिति को नीचे निर्धारित संरूप में आवेदन करेगा। समिति निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए उक्त अनुरोध की जांच करेगी और परियोजना प्रस्तावक को साधारण मिट्टी की अनुमेय मात्रा, जिसे एक या उससे अधिक अभिज्ञात स्थलों से निष्कर्षित किया जा सकता है, के बारे में निम्नलिखित संरूप में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर सूचित करेगी :

प्रपत्र 2ङ

रेखीय परियोजनाओं के लिए निष्कर्षित की जाने वाली साधारण मिट्टी की मात्रा तय करने के लिए समिति को आवेदन करने और 'परिवेश' पर भी अपलोड किए जाने के लिए संरूप

1.	*परियोजना का विवरण : परियोजना का नाम; कंपनी/संगठन का नाम; पंजीकृत पता*					
2.	*पत्राचार के लिए पता : परियोजना प्रस्तावक का नाम; पदनाम; पता; डाक सूचकांक संख्या; ई-मेल आईडी; मोबाइल नं.; फैक्स नंबर, आदि।*					
3.	*अनुसूची के अनुसार रेखीय परियोजना का प्रकार :*					
4.	*रेखीय परियोजना का अवस्थान : प्लॉट / सर्वेक्षण / खसरा संख्या; गाँव; तहसील; जिला; राज्य; पिन कोड; परियोजना/कार्यकलाप स्थल के अक्षांश और देशांतर; भारतीय सर्वेक्षण की टोपो शीट संख्या; टोपो शीट की प्रतिलिपि;*					
5.	*यदि परियोजना अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निष्पादित की जाती है, तो तत्संबंधी ब्यौरा : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें परियोजना निष्पादित की जाएगी, की संख्या; सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहां परियोजना अवस्थित है, का ब्यौरा*					
6.	*क्या प्रस्तावित परियोजना सीमावर्ती राज्यों में अवस्थित होगी : (हां/नहीं) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा*					
7.	*स्थल (स्थलों), जहां से उपयोग की जाने वाली मिट्टी निष्कर्षित की जानी है, का अवस्थान : प्लॉट / सर्वेक्षण / खसरा संख्या; गाँव; तहसील; जिला; राज्य; पिन कोड; स्थल के अक्षांश और देशांतर; भारतीय सर्वेक्षण की टोपो शीट संख्या; टोपो शीट की प्रतिलिपि; मीटर/किलोमीटर में दूरी*					
8.	*साधारण मिट्टी की कुल अपेक्षा (घन मीटर में) :*					
	जगह	*सामग्री का प्रकार (रेत/मिट्टी /साधारण मिट्टी)*	*प्रतिदिन मात्रा (टन में)*	*परियोजना स्थल, जहां सामग्री का उपयोग किया जाएगा, से निष्कर्षण स्थल की दूरी (किमी में)*	*परिवहन के साधन*	*निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त विधि/उपकरण*
	साइट 1					
	साइट 2					
	साइट 3					
9.	*खनित गड्ढों की कुल संख्या:*					
10.	*हॉल रोड्स की योजनाबद्ध लंबाई (मीटर):*					

<table>
<tr><td>11.</td><td>भण्डार के लिए निर्धारित भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर):</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>सुरक्षा उपायों के साथ-साथ स्टैकिंग व्यवस्था का विवरण</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>क्या वन भूमि शामिल है: हाँ/नहीं
यदि हां, तो सैद्धांतिक (चरण-I) प्राप्त हुआ अनुमोदन: मंत्रालय की फाइल संख्या; सैद्धांतिक (चरण-I) अनुमोदन की तिथि; परिवर्तित क्षेत्र;
यदि अंतिम (चरण-II) अनुमोदन प्राप्त हो गया है: मंत्रालय की फाइल संख्या; अंतिम अनुमोदन की तिथि; परिवर्तित क्षेत्र</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>वृक्षों की कटाई, यदि कोई हो: परियोजना के लिए काटे गए वृक्षों की संख्या (यदि वनभूमि शामिल नहीं है); तथा वृक्षों की कटाई और वृक्षारोपण का ब्यौरा</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>वर्तमान भूमि उपयोग विवरण (हेक्टेयर में) [कृषि क्षेत्र; बंजर/परती क्षेत्र; चरागाह/सामुदायिक क्षेत्र; सतही जल निकाय; बस्तियाँ; औद्योगिक; वन; मैंग्रोव; समुद्री क्षेत्र; अन्य (निर्दिष्ट करें); और कुल]</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>भूमि स्वामित्व पैटर्न (प्रस्तावित उधार मिट्टी निष्कर्षण से पहले) हेक्टेयर में [वन भूमि; निजी भूमि; सरकारी भूमि; राजस्व भूमि; अन्य भूमि; कुल भूमि]
स्वामित्व पट्टे पर
<table>
<tr><td>यदि पट्टे पर है तो उसका विवरण</td><td>मालिक के साथ हुए समझौते को अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें</td></tr>
<tr><td>परिस्थिति योजना</td><td>चित्र अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>17.</td><td>रैखिक परियोजना के सी.आर.जेड. क्षेत्र में स्थित होने की स्थिति में: राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की अनुशंसा; रैखिक परियोजना के लिए सी.आर.जेड. मंजूरी की प्रति।</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>पुनर्ग्रहण का विवरण: सम्पूर्ण वनरोपण योजना</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी संवेदनशीलता (मिट्टी निकालने के स्थल से 10 किमी के भीतर):
पारिस्थितिक संवेदनशीलता का विवरण
<table>
<tr><th>पारिस्थितिकी संवेदनशीलता का विवरण</th><th>नाम</th><th>साइट से दूरी (किमी में)</th><th>टिप्पणियां</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	पारिस्थितिक संवेदनशीलता: (गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र, अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र, वन्यजीव गलियारे, आदि)	
परियोजना प्रस्तावक का नाम *हस्ताक्षर* *तारीख*		

(II) रैखिक परियोजनाओं के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंड/पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय जिनके लिए साधारण मिट्टी के निष्कर्षण, सोर्सिंग या खनन की छूट लागू है

(i) पालन किये जाने वाले सामान्य सुरक्षा उपाय:

ठेकेदार आम तौर पर निजी भूमि के मामले में व्यक्तिगत मालिकों और सरकारी भूमि के मामले में संबंधित विभाग के साथ परामर्श करके सामग्री की उपयुक्तता का आकलन करने के बाद खनन क्षेत्र के स्थानों की पहचान करते हैं। खनन क्षेत्र आम तौर पर खेती योग्य भूमि से नहीं होगा और यह अधिमानतः बंजर भूमि, गाद वाले तालाबों और अन्य सरकारी भूमि से होगा।

यदि सरकारी राजस्व प्राधिकारी व्यापक जनहित में तालाबों और जल निकायों का निर्माण करने का निर्णय लेते हैं, विशेष रूप से जल संकटग्रस्त/दुर्लभ क्षेत्र में, तो ऐसे मामलों में, खनित मिट्टी का उपयोग राजमार्ग क्षेत्र की उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा तटबंधों के प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

क. निम्नलिखित क्षेत्रों में खनन से बचना चाहिए:

i. *आधार रेखा के करीब भूमि;*

ii. *सिंचित कृषि भूमि। ऐसी भूमि से खनन की आवश्यकता होने पर, ऊपरी मिट्टी को भंडार में संरक्षित किया जाए;*

iii. *चरागाह भूमि;*

iv. *पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे आरक्षित वन, संरक्षित वन, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण रिजर्व, आर्द्रभूमि आदि से एक किलोमीटर तक;*

v. *अस्थिर पार्श्व-पहाड़ियाँ;*

vi. *जल निकाय;*

vii. *नदियां और रिसाव क्षेत्र;*

viii. *दुर्लभ पौधों/पशु प्रजातियों को सहारा देने वाले क्षेत्र;*

ix. *यह सुनिश्चित करें कि खुदाई की प्रस्तावित गहराई के भीतर ऐसी अनुपयुक्त नरम चट्टान न हो, जिससे पुनर्वास कठिन हो जाए।*

ख. मिट्टी की खुदाई के लिए प्राथमिकता का क्रम:

i. *आस-पास की अन्य सड़क निर्माण परियोजनाओं से कटी हुई सामग्री भी अंदर हो सकती है।*

ii. *सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद तालाबों, झीलों, नदियों और नहरों के ड्रेजिंग कार्यों से।*

iii. *बंजर भूमि से या सड़क मार्गाधिकार से बाहर वृक्षावरण रहित भूमि से।*

iv. *भू-स्वामी की इच्छा और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति से भूमि की खुदाई करके तथा नए जल टैंक/तालाब बनाकर।*

v. *प्रस्तावित मार्गाधिकार के भीतर प्रस्तावित पुलियाओं की खुदाई से और कटी हुई सामग्रियों के पुनः उपयोग से।*

vi. *फ्लाई-ऐश (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की फ्लाई-ऐश अधिसूचना दिनांक 31.12.2021) के उपयोग से चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षित लैंडफिल से निष्क्रिय ठोस अपशिष्ट का उपयोग और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का उपयोग करना।*

vii. *कृषि भूमि से, इस शर्त के अधीन कि ऊपरी उपजाऊ मिट्टी को अलग से संग्रहित किया जाए तथा उसका पुनः उपयोग वृक्षारोपण और कृषि के लिए किया जाए।*

(ii) निष्कर्षण के लिए निर्धारित क्षेत्र का विनिर्देशन:

क. निष्कर्षण के लिए निर्धारित क्षेत्र जो राजमार्ग क्षेत्र में सतत विकास के सिद्धांतों को पूरा करते हैं, के लिए विनिर्देश निम्नानुसार है:

i. *खनती गड्ढा आयताकार आकार के होने चाहिए, जिनका एक किनारा सड़क की मध्य रेखा के समानांतर हो।*

ii. *भविष्य में विकास के लिए उचित विचार करने के बाद, सड़क के किनारे से 5 मीटर के अंदर कोई खनती गड्ढा नहीं खोदा जाना चाहिए।*

iii. *मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए, जहाँ अन्य परिस्थितियां अनुकूल हों, खनती गड्ढों में अच्छी जल निकासी होनी चाहिए। कुशल जल निकासी सुनिश्चित करने के लिए, खनती गड्ढे के तल का स्तर, जहाँ तक संभव हो, निकटतम क्रॉस ड्रेन यदि कोई हो, की ओर धीरे-धीरे नीचे की ओर होना चाहिए, और क्रॉस ड्रेन के तल से कम नहीं होना चाहिए।*

iv. *जब अस्थायी रूप से अधिग्रहित कृषि योग्य भूमि से मिट्टी निकालना आवश्यक हो जाता है, तो खनती गड्ढों की गहराई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 150 मिमी की गहराई तक ऊपरी मिट्टी को हटाकर अलग रख देना चाहिए। इसके बाद, मिट्टी को 1350 मिमी से अधिक गहराई तक खोदा जा सकता है और तटबंध बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर ऊपरी मिट्टी को वापस जमीन पर फैला देना चाहिए। जब उपजाऊ कृषि योग्य भूमि से मिट्टी निकाली जाती है, तो इस पद्धति को अपनाना सबसे महत्वपूर्ण है।*

v. *खनती गड्ढों के संबंध में मौजूदा निर्माण संहिताओं/मैनुअल में दिए गए दिशा-निर्देशों/एसओपी का पालन किया जाएगा।*

(iii) साइट विशिष्ट उपाय:

क. कृषि भूमि में स्थित खनती क्षेत्र:

i. *ऊपरी मृदा का संरक्षण भण्डार में किया जाएगा।*

ii. *खनती गड्ढे से 150 मिमी की ऊपरी मिट्टी हटा दी जाएगी और इसे सुरक्षित निर्दिष्ट क्षेत्र में ढेर के रूप में संग्रहित किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी और किनारे की ढलान 1:2 (ऊर्ध्वाधर: क्षैतिज) से अधिक नहीं होगी।*

iii. *150 मिमी गहराई तक ऊपरी मृदा का संरक्षण तथा वृक्षारोपण और खेती आदि के लिए इसका पुनः उपयोग।*

iv. *पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सतत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के अनुसार मौजूदा जमीनी स्तर से 1.5 मीटर की गहराई तक मिट्टी निकाली जाएगी।*

v. *पूरे क्षेत्र में लगातार मिट्टी खोदने का काम नहीं किया जाएगा।*

vi. *300 मीटर से अधिक के अंतराल पर कम से कम 8 मीटर चौड़ाई की रिज छोड़ी जाएंगी।*

vii. *यदि आवश्यक हो तो जल निकासी की सुविधा के लिए छोटी नालियां बनाई जाएंगी।*

ख. ऊंची भूमि पर स्थित खनती क्षेत्र:

i. *ऊपरी मृदा का संरक्षण ढेर बनाकर किया जाएगा।*

ii. *निकाले गए गड्ढे से 150 मिमी की ऊपरी मिट्टी हटा दी जाएगी और इसे सुरक्षित निर्दिष्ट क्षेत्र में ढेर के रूप में संग्रहित किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी और किनारे की ढलान 1:2 (ऊर्ध्वाधर: क्षैतिज) से अधिक नहीं होगी।*

iii. *150 मिमी गहराई तक ऊपरी मृदा का संरक्षण तथा वृक्षारोपण और खेती आदि के लिए इसका पुनः उपयोग।*

iv. *ऐसे स्थानों पर जहां निजी मालिक अपने खेतों को समतल करना चाहते हैं, वहां 1.5 मीटर से अधिक गहराई तक या आसपास के खेतों के स्तर तक खुदाई की जाएगी।*

ग. नदी के निकट खनती क्षेत्र :

i. *किसी भी सतही जल निकाय के निकट खनती क्षेत्र, तट के निचले भाग या उच्च बाढ़ स्तर, जो भी अधिकतम हो, से कम से कम 15 मीटर की दूरी पर होगा।*

ii. *ऊपरी मृदा का संरक्षण ढेर बनाकर किया जाएगा।*

iii. *निकाले गए गड्ढे से 150 मिमी की ऊपरी मिट्टी हटा दी जाएगी और इसे सुरक्षित निर्दिष्ट क्षेत्र में ढेर के रूप में संग्रहित किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी और किनारे की ढलान 1:2 (ऊर्ध्वाधर: क्षैतिज) से अधिक नहीं होगी।*

iv. *150 मिमी गहराई तक ऊपरी मृदा का संरक्षण तथा वृक्षारोपण और खेती आदि के लिए इसका पुनः उपयोग।*

घ. बस्तियों के निकट खनती क्षेत्र :

i. *ऊपरी मृदा का संरक्षण ढेर बनाकर किया जाएगा।*

ii. *खनती गड्ढे से 150 मिमी की ऊपरी मिट्टी हटा दी जाएगी और इसे सुरक्षित निर्दिष्ट क्षेत्र में ढेर के रूप में संग्रहित किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी और किनारे की ढलान 1:2 (ऊर्ध्वाधर: क्षैतिज) से अधिक नहीं होगी।*

iii. *150 मिमी गहराई तक ऊपरी मृदा का संरक्षण तथा वृक्षारोपण और खेती आदि के लिए इसका पुनः उपयोग।*

iv. *ऐसे स्थान पर स्थित खनती गड्ढों को खनन कार्य पूरा होने के तुरंत बाद पुनः विकसित किया जाएगा। यदि खराब सामग्री को डंप किया जाता है, तो अनुपालनार्थ आवश्यकताओं के अनुसार उसे संग्रहित की गई ऊपरी मिट्टी की एक परत से ढक दिया जाएगा।*

ङ संरेखण के किनारे खनती गड्ढे :

i. *संरेखण के किनारे खनती गड्ढे बनाने के कार्यों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यदि अपरिहार्य हो तो खनती गड्ढे को सड़क मार्गाधिकार के किनारे से कम से कम 5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए।*

ii. *ऊपरी मृदा का संरक्षण भण्डार में किया जाएगा।*

iii. *खनती गड्ढे से 150 मिमी की ऊपरी मिट्टी को हटाकर उसे सुरक्षित निर्दिष्ट क्षेत्र में ढेर के रूप में संग्रहित किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी और किनारे की ढलान 1:2 (ऊर्ध्वाधर: क्षैतिज) से अधिक नहीं होगी।*

iv. *150 मिमी की गहराई तक की ऊपरी मृदा का संरक्षण तथा वृक्षारोपण और खेती आदि के लिए इसका पुनः उपयोग।*

v. *अधिकतम 300 मीटर के अंतराल पर कम से कम 8 मीटर चौड़ाई के रिज छोड़े जाने चाहिए।*

vi. *जल निकासी की सुविधा के लिए मेड़ों के बीच छोटी-छोटी नालियां काटी जायेंगी।*

vii. *इसके अलावा, स्थिरता के विचार के अनुसार तटबंध के निचले हिस्से से अपेक्षित न्यूनतम 10 मीटर की चौड़ाई के भीतर कोई गड्ढा नहीं खोदा जाएगा।*

(III) सूचना प्रस्तुत करना

सड़क, पाइपलाइन जैसी रैखिक परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी के निष्कर्षण या सोर्सिंग या उत्खनन से संबंधित जानकारी फॉर्म 2एम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा खुदाई शुरू होने से कम से कम एक पखवाड़े पहले परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत की जानी चाहिए। मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निगरानी की जाने वाली सुरक्षा उपायों के साथ एक पावती तैयार की जाएगी। साधारण मिट्टी के निष्कर्षण के लिए ऊपर उल्लिखित समिति द्वारा प्रदान की गई मंजूरी के साथ इस परिशिष्ट के उप पैरा बी (आई) में उल्लिखित समिति को प्रस्तुत किए गए फॉर्म 2एम की प्रति भी अपलोड की जाएगी जिसमें साधारण मिट्टी की स्वीकार्य मात्रा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा जिसे पहचाने गए एक या अधिक स्थलों से निकाला जा सकता है।

(IV) खनती क्षेत्रों का पुनर्विकास:

पुनर्वास कार्यक्रम का उद्देश्य बॉरो पिट स्थलों को सुरक्षित और संरक्षित क्षेत्र में वापस लाना है, जहाँ आम जनता का प्रश्न सुरक्षित रूप से हो सके। बोरों पिट को स्थिर स्थिति में सुरक्षित करना पुनर्वास प्रक्रिया की मूलभूत आवश्यकता है। ऐसा बॉरो पिट को लगभग सड़क के स्तर तक भरकर किया जा सकता है।

क. खनती क्षेत्रों की भराई निम्नलिखित उपयुक्त विकल्पों का प्रयोग करके किया जाएगा:

i. *खनती गड्ढों को परित्यक्त निर्माण अपशिष्ट (अनुपयोगी सामग्री) से भर दिया जाएगा और सतह पर टर्फिंग किया जाएगा या पेड़ लगाए जाएंगे। यदि ऐसा संभव नहीं है, तो खुदाई ढलान को समतल किया जाना चाहिए, और गड्ढे को इस तरह से भरा जाना चाहिए कि यह कमोबेश मूल जमीन की सतह जैसा दिखे।*

ii. *कार्य निष्पादन के दौरान, ठेकेदार को सामग्री इकट्ठा करने के दौरान पेड़ों का संरक्षण सुनिश्चित करना होगा; जल रिसाव को सुगम बनाने और प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि के लिए स्ट्रिपिंग सामग्री का फैलाव; पिछले प्राकृतिक जल निकासी प्रवाह की पुनः स्थापना; साइट की दिखावट में सुधार; अपवाह को इकट्ठा करने के लिए खाई खोदना; और जहां भी संभव हो, वहां सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अमृत सरोवर योजना के अनुसार वृक्षारोपण किया जा सकता है या अमृत योजना के अनुसार जल भंडारण के लिए गड्ढे तैयार किए जा सकते हैं।।*

iii. *यदि किसी क्षेत्र में वनरोपण किया जाना है तो वहां के स्थानीय वन विभाग के परामर्श से रोपण कार्यक्रम के लिए उपयुक्त स्थानिक पौधों की प्रजातियों का चयन किया जाना चाहिए। जैसे-जैसे पौधे धीरे-धीरे विकसित होते हैं, उनकी नियमित निगरानी की जानी चाहिए और आवश्यकतानुसार सूखे हुए पौधों के स्थान पर नए पौधों का रोपण करना चाहिए।*

iv. *ठेकेदार को विभिन्न चरणों की तस्वीरों का रिकॉर्ड रखना होगा, जैसे कि स्थान से सामग्री का उपयोग करने से पहले (प्री-प्रोजेक्ट), उत्खनन की अवधि के दौरान की गतिविधियाँ (निर्माण चरण) और पुनर्वास के बाद (विकास के बाद), ताकि क्षेत्र के उत्खनन से पहले और बाद की स्थिति का पता लगाया जा सके। ठेकेदार को खनती क्षेत्र को बंद करने से पहले निष्पादन एजेंसी से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।*

ख. अमृत सरोवर का विकास :

अमृत सरोवर कार्यक्रम के अंतर्गत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग /एनएचएआई/अन्य सड़क विकास एजेंसियों द्वारा किया जल निकायों का विकास जा रहा है तथा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के लिए मौजूदा जल निकायों की गाढ़ की सफाई भी की जा रही है। ऐसे जल निकायों के निर्माण से प्राप्त मिट्टी का उपयोग सड़क निर्माण और मिट्टी की उपयुक्तता के अनुसार वृक्षारोपण के लिए किया जाना है। राज्य प्राधिकरणों को पहले ही सलाह दी जा चुकी है कि वे अमृत सरोवर कार्यक्रम के तहत जल निकायों के निर्माण के लिए मिट्टी निकालने पर कोई रॉयल्टी न वसूलें क्योंकि यह जल संसाधनों के संरक्षण और ऐसे क्षेत्रों के सूक्ष्म जलवायु में सुधार के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा। इससे देश के विशेष रूप से जल संकट वाले क्षेत्रों में जल उपलब्धता को बढ़ेगी और ग्रामीण आजीविका और उत्पादकता में सुधार आएगा। यह गरीब हितैषी और पर्यावरण के अनुकूल प्रयास देश में जल व्यवस्था को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगा। इसके अलावा, इससे विकास के दौरान समाज के लिए कई 'पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं' का प्रवाह भी सुनिश्चित होगा।

(V) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निगरानी

संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय रैखिक परियोजना के लिए साधारण मिट्टी की की जाने वाली खुदाई से पहले, उसके दौरान और बाद में भी आवधिक निगरानी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित सुरक्षा उपायों के अनुसार आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय किए गए हैं। रैखिक परियोजना के लिए साधारण मिट्टी के निष्कर्षण की निगरानी तब तक की जाएगी जब तक निष्कर्षण का काम पूरा नहीं हो जाता है। निष्कर्षण गतिविधि समाप्त होने के बाद, साइट का ऊपर बताए अनुसार पुनर्विकास किया जाएगा। मंत्रालय का संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय ऐसी साइट का निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि ऐसी साइट का संतोषजनक रूप से पुनर्विकास किया गया है, एक समापन रिपोर्ट होगा। समापन रिपोर्ट तुलनात्मक रूप से पूर्व और बाद की तस्वीरों के साथ ***परिवेश*** *पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी और उसके बाद मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निगरानी की आवश्यकता नहीं होगी। परियोजना प्रस्तावक ठेकेदार को अंतिम भुगतान तभी जारी किया जाएगा जब मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा* ***परिवेश*** *पोर्टल पर समापन रिपोर्ट विधिवत प्रस्तुत कर दी जाएगी।*

[फा.सं. आईए3-22/5/2024-आईए.III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी,संयुक्त सचिव

नोट: **मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्या का.आ. 1533(अ) दिनांक 14 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या का.आ. 2215(अ) दिनांक 7 जून, 2024 द्वारा संशोधन किया गया था।**

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, 2nd August, 2024

S.O. 3099 (E).-Whereas, the Central Government proposes to issue following draft notification in exercise of the powers conferred by sub-section (1), and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address at diriapolicy-moefcc@gov.in.

Draft Notification

Whereas, the Environment Impact Assessment (EIA) Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), regarding requirement of prior Environmental Clearance (EC) for the projects covered in its schedule (hereinafter referred to as the said notification);

And whereas, the Central Government vide Notification S.O. 1224 (E) dated 28/03/2020 amended Appendix-IX of the said Notification to *inter-alia* provide exemption from obtaining prior EC for extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for linear projects such as roads, pipelines, etc., and for dredging and desilting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management, vide item 6 & 7.

And whereas, the Hon'ble NGT, vide order dated 28/10/2020 in OA No. 160 of 2020 titled Noble M Paikada vs. Union of India, directed the Ministry to revisit the impugned notification dated 28/03/2020 within three months.

And whereas, in compliance of the order of the Hon'ble NGT to revisit the impugned notification, the matter was placed before the concerned Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as EAC), Non-Coal Mining and EAC, River Valley and Hydro-electric projects, Ministry of Environment, Forest and Climate Change for deliberations. Based on the recommendations of the EAC, the Ministry issued Office Memorandum dated 08/08/2022 to clarify the applicability of the EIA Notification, 2006 for the excavation of Ordinary earth from borrow area for linear projects and issued a Standard Operating Procedure (SoP) for borrow area identification, its operation, safety, environmental safeguards to be observed and redevelopment. Further, vide OM dated 12/07/2023 a clarification was issued regarding the exemption from EC provided vide Notification S.O. 1224 (E) dated 28/03/2020 for dredging and de-silting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management.

And whereas, the petitioner filed a Civil Appeal No. 1628-1629/2021 titled Noble Paikada vs Union of India & Ors., before the Hon'ble Supreme Court and based on the hearings in the matter, the Central Government vide Notification S.O. 3840 (E) dated 30/08/2023 amended the provisions of item 6 & 7 of Appendix-IX to the said Notification, stating that the exemption provided shall be subject to the compliance of standard operating procedures and environmental safeguards issued in this regard from time to time. Further, the Central Government also issued an Office Memorandum dated 21/08/2023, with specific directions to the regulatory authorities to

enforce the Standard Operating Procedures and environmental safeguards provided vide Office Memoranda dated 08/08/2022 and 12/07/2023.

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide its judgment dated 21/03/2024 in Civil Appeal Nos 1628-1629 of 2021 Noble M. Paikada Vs Union of India has struck down item 6 of the substituted Appendix-IX forming part of the Notification S.O. 1224 (E) dated 28/03/2020 and S.O. 3840 (E) dated 30/08/2023 *inter-alia* on the grounds that the Notification dated 28/03/2020 is vague and doesn't define "linear projects" thereby making it unclear as to which projects qualify under the provisions of the aforesaid Notification and that it does not also specify the area from which and the amount of ordinary earth that can be removed etc. Further, the Hon'ble Supreme Court quashed the amendment S.O. 3840 (E) dated 30.08.2023 on the grounds that the authority for deciding whether a linear project is covered by item 6 and the authority for issuing SOP and safeguards were not specified and the provision to enforce these SOP and safeguards, and the quantum of earth that can be extracted etc., had also not been specified.

And whereas, the Central Government has examined the matter in consultation with the concerned Ministries and Experts and addressed all the issues highlighted by the Hon'ble Supreme Court vide its judgment dated 21/03/2024 mentioned above with regard to exemption of extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for linear projects such as roads, pipelines, etc., from prior EC.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, namely: -

In the said notification, in Appendix-IX-

(a) for serial numbers 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

6. Extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for the linear projects subject to the mechanism provided in Appendix XIV.

(b) after Appendix-XIII, the following Appendix XIV shall be inserted, namely:-

Appendix XIV

(See serial number 6 of Appendix IX)

A. Definition and applicability of environmental safeguards for extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth in lieu of prior Environmental Clearance (EC)

(I) Definition of linear projects

For the purpose of this Notification, linear projects are defined as Roads and Highway project covered under item 7(f) and pipelines covered under sub para (ii) of item 1(a) and 6(a) of the schedule of this Notification.

(II) Applicability of environmental safeguards for extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for linear projects in lieu of prior Environmental Clearance and which require extraction/sourcing/borrowing of ordinary earth above the threshold of 20,000 cu.m.

Linear projects as defined above, which are not required to obtain prior EC shall follow the Standard Operating Procedure (SOP) provided in this Appendix for extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth, in lieu of prior Environmental Clearance (EC). The required environmental safeguards for extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for the linear projects that attract the requirement of prior EC, shall be prescribed by the concerned Expert Appraisal Committee at the Centre or the State level as the case may be, at the time of appraisal

of such linear project for grant of EC and the same shall be included in the EC granted for such linear project.

B. SOP for extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth above the threshold of 20,000 cu.m by the project proponents of linear projects for which prior EC is not applicable

(I) Authority to decide the quantum of ordinary earth that may be extracted:

i. The following committee shall decide the optimum quantum of ordinary earth that shall be extracted for a particular project based on the different criteria mentioned in para II below:

(i) SDM, if the project is restricted to one sub-division *(ii) District Collector or his authorised representative not below the rank of a district level Officer, in case the project is spread in more than one sub-division*	*Chairman*
District Forest Officer or his nominee	*Member*
Officer from State Pollution Control Board as authorized by the Chairman, SPCB	*Member*
Assistant Director or Deputy Director or District Mines Officer or Geologist in the district in that order	*Member- Secretary*

ii. The Project proponent of the linear project, which requires extraction, sourcing, borrowing of ordinary earth, shall make an application in the format prescribed below to the above mentioned Committee for the required quantity of ordinary earth. The Committee shall examine the request taking into account the following criteria and shall inform the project proponent about the permissible quantity of ordinary earth which can be extracted from one or more identified sites within 45 days from the date of receipt of the application in the following format:

FORM 2M

Format for making application to the Committee for deciding the quantum of ordinary earth that may be extracted for linear projects and also uploading on PARIVESH

1.	*Details of project: Name of the project; Name of the Company / Organization; Registered Address*
2.	*Address for the correspondence: Name of the project proponent; Designation; Address; Postal Index Code; e-mail ID; Mobile No.; Fax No., etc.*
3.	*Type of the linear project as per schedule:*
4.	*Location of the linear project: Plot / Survey / Khasra number; Village; Tehsil; District; State; Pin Code; Latitudes and Longitudes of the project/activity site; Survey of India Topo Sheet number; Copy of Topo Sheet;*
5.	*If project is executed in multiple States/UTs, details thereof: Number of States/UTs in which project will be executed; details of all the States/UTs where the project is located*
6.	*Whether the project proposed to be located in border states: (Yes/No) if yes details thereof*

7.	*Location of the site(s) from where the borrow earth is to be extracted: Plot / Survey / Khasra number; Village; Tehsil; District; State; Pin Code; Latitudes and Longitudes of the site; Survey of India Topo Sheet number; Copy of Topo Sheet; Distance in metre/kilometre*
8.	*Total ordinary earth requirement (in cu m.):*

Location	*Type of material (sand/clay/ ordinary earth)*	*Quantity per day (In tonnes)*	*Distance of the site of extraction from the project site where the material shall be used (in kms)*	*Mode of Transport*	*Method/Equipment used for extraction*
Site 1					
Site 2					
Site 3					

9.	*Total number of borrow pits:*
10.	*Planned length of Haul Roads (m):*
11.	*Area of land earmarked for stockpile (sqm):*
12.	*Details of stacking arrangement along with safeguards*
13.	*If Forest Land involved: Yes/No* *If yes, In-Principle (Stage-I) Approval Obtained: Ministry file number; Date of In-Principle (Stage-I) approval; Area diverted;* *If Final (Stage-II) Approval Obtained: Ministry file number; date of final approval; area diverted*
14.	*Tree cutting, if any: No. of trees cut for the project (if Forestland not involved); and details of tree cutting and planting of trees*
15.	*Present Land Use breakup in Ha [Agriculture Area; Waste/Barren Area; Grazing/ Community Area; Surface Water bodies; Settlements; Industrial; Forest; Mangroves; Marine area; Others (Specify); and Total]*
16.	*Land Ownership Pattern (Prior to the proposed extraction of borrow earth) in Ha [Forest land; Private land; Government Land; Revenue land; Other Land; Total Land]* ♦ *Owned* ♦ *Leased*

If leased, details thereof	*Attach agreement with owner as Annex*
Layout plan	*Attach drawings as Annex*

17.	*In case of linear project being located in CRZ area: Recommendation of State Coastal Zone Management Authority; Copy of the CRZ clearance for the linear project.*
18.	*Details of Reclamation: Total Afforestation Plan*
19.	*Ecological and Environmental Sensitivity (Within 10 Km of site of borrow earth extraction):*

Details of Ecological Sensitivity

Details of Ecological Sensitivity	*Name*	*Distance from the site (Km)*	*Remarks*

	Ecological Sensitivity:(Critically Polluted Area, Severely Polluted Area, Protected area, Eco Sensitive Zones, Wildlife corridors, etc.)		
Name of the project proponent *Signature* *Date*			

(II) Criteria / Environmental safeguards to be followed by the project proponent of linear projects for which exemption for extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth is applicable

(i) General safeguards to be observed:

The contractors normally identify the borrow area locations in consultation with the individual owners in case of private lands and the concerned department in case of government lands, after assessing suitability of the material. Borrow area shall generally not be from cultivable land and it shall be preferably from barren land, silted ponds and other government lands.

If the government revenue authorities so decide in larger public interest to create ponds and water bodies especially in a water stressed/scarce area, then in such cases, the borrowed earth can be used by the user agencies of highways sector for the purposes of embankments.

a. Borrowing to be avoided on the following areas:

i. *Lands close to toe line;*
ii. *Irrigated agricultural lands. In case of necessity for borrowing from such lands, the topsoil shall be preserved in stockpiles;*
iii. *Grazing lands;*
iv. *Up to one kilometer from environmentally sensitive areas such as Reserve Forests, Protected Forests, Sanctuary, National Parks, Conservation Reserve, Wetlands etc;*
v. *Unstable side-hills;*
vi. *Water-bodies;*
vii. *Streams and seepage areas;*
viii. *Areas supporting rare plants/ animal species;*
ix. *Ensure unsuitable soft rock is not prominent within the proposed depth of excavation which will render rehabilitation difficult.*

b. Order of priority for sourcing borrow earth:

i. *Cut material available from other road construction projects nearby, may be within.*
ii. *From dredging operations of ponds, lakes, rivers and canals after approval from the competent authority.*
iii. *From barren land or land without tree cover outside the road RoW.*
iv. *By excavating land and creating new water tanks/ponds as choice of land owner and in concurrence of local authority.*
v. *From excavation of proposed culverts and reuse of cut materials with in proposed RoW.*
vi. *Promoting circular economy by use of fly-ash (MoEF&CC Fly-ash Notification dated 31.12.2021), use of Inert Solid Waste from the Secured Landfills as per MoEF&CC guidelines and use of Construction and Demolition Waste as per MoEF&CC guidelines.*
vii. *From agricultural land subject to the condition that the productive top-soil is stored separately and its reuse for plantation and agriculture.*

(ii) Specification of Area Fixed for Extraction:

a. The specification of area fixed for extraction which meets the tenets of sustainable development in the highway sector is as under:

i. *Borrow pits should be rectangular in shape with one side parallel to the centre line of the road.*
ii. *No borrow pits should be dug within 5 m of the edge of the RoW, after making due allowance for future development.*
iii. *To prevent the breeding of mosquitoes, where other conditions permit, borrow pits should be well drained. To ensure efficient drainage, the bed level of the borrow pits should, as far as possible, slop down progressively towards the nearest cross drain, if any, and should not be lower than the bed of the cross drain.*
iv. *When it becomes necessary to borrow earth from temporarily acquired cultivable lands, the depth of the borrow pits should not exceed 1.5 m. The top soil to a depth of 150 mm should be stripped and stacked aside. Thereafter, soil may be dug out to a further depth not exceeding 1350 mm and used in forming the embankment. The top soil should then be spread back on the land. It is most important to adopt this practice when soil is borrowed from rich cultivable land.*
v. *Guidelines/SOP as laid down in extant Construction Codes/Manuals regarding Borrow pits shall be adhered to*

(iii) Site Specific Measures:

a. Borrow Areas located in Agricultural Lands:

i. *The preservation of topsoil will be carried out in stockpile.*
ii. *A 150 mm topsoil will be stripped off from the borrow pit and this will be stored in stockpiles in a secured designated area for height not exceeding 2 m and side slopes not steeper than 1:2 (Vertical: Horizontal).*
iii. *Preservation of Top Soil of 150 mm depth and its reuse for plantation and cultivation etc.*
iv. *Borrowing of earth will be carried out up to a depth of 1.5 m from the existing ground level as per Sustainable Mining Management Guidelines, 2016 of MoEF&CC.*
v. *Borrowing of earth will not be done continuously throughout the stretch.*
vi. *Ridges of not less than 8 m widths will be left at intervals not exceeding 300 m.*
vii. *Small drains will be cut through the ridges, if necessary, to facilitate drainage.*

b. Borrow Areas located on Elevated Lands:

i. *The preservation of topsoil will be carried out in stockpile.*
ii. *A 150 mm topsoil will be stripped off from the borrow pit and this will be stored in stockpiles in a secured designated area for height not exceeding 2 m and side slopes not steeper than 1:2 (Vertical: Horizontal).*
iii. *Preservation of Top Soil of 150 mm depth and its reuse for plantation and cultivations etc.*
iv. *At location where private owners desire their fields to be levelled, the borrowing shall be done to a depth of not more than 1.5 m or up to the level of surrounding fields.*

c. Borrow Areas near Riverside:

i. *Borrow area near to any surface water body will be at least at a distance of 15 m from the toe of the bank or high flood level, whichever is maximum.*
ii. *The preservation of topsoil will be carried out in stockpile.*

iii. *A 150 mm topsoil will be stripped off from the borrow pit and this will be stored in stockpiles in a secured designated area for height not exceeding 2 m and side slopes not steeper than 1:2 (Vertical: Horizontal).*
iv. *Preservation of Top Soil of 150 mm depth and its reuse for plantation and cultivation etc.*

d. Borrow Areas near Settlements:

i. *The preservation of topsoil will be carried out in stockpile.*
ii. *A 150 mm topsoil will be stripped off from the borrow pit and this will be stored in stockpiles in a secured designated area for height not exceeding 2 m and side slopes not steeper than 1:2 (Vertical: Horizontal).*
iii. *Preservation of Top Soil of 150 mm depth and its reuse for plantation and cultivation etc.*
iv. *Borrow pits located in such location will be re-developed immediately after borrowing is completed. If spoils are dumped, that will be covered with a layer of stockpiled topsoil in accordance with compliance requirements.*

e. Borrow Pits along the Alignment:

i. *Borrow pits along the alignment shall be discouraged. If unavoidable the borrow should be minimum 5 m distance away from the edge of the RoW.*
ii. *The preservation of topsoil will be carried out in stockpile.*
iii. *A 150 mm topsoil will be stripped off from the borrow pit and this will be stored in stockpiles in a secured designated area for height not exceeding 2 m and side slopes not steeper than 1:2 (Vertical: Horizontal).*
iv. *Preservation of Top Soil of 150 mm depth and its reuse for plantation and cultivation etc.*
v. *Ridges of not less than 8 m widths should be left at intervals not exceeding 300 m.*
vi. *Small drains shall be cut through the ridges to facilitate drainage.*
vii. *Also, no pit shall be dug within the offset width from the toe of the embankment required as per the consideration of stability with a minimum width of 10 m.*

(III) Submission of information

Information in FORM 2M with regard to extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for the linear projects such as roads, pipelines to be submitted by the project proponent on PARIVESH portal at least a fortnight before start of excavation. An acknowledgement shall be generated along with the safeguards which shall be monitored by the Regional Office of the Ministry. The copy of the FORM 2M submitted to the committee as mentioned at sub para B(I) of this Appendix along with approval provided by the Committee mentioned above, for the extraction of ordinary earth shall also be uploaded clearly mentioning the permissible quantity of ordinary earth which can be extracted from one or more identified sites.

(IV) Re-development of Borrow Areas:

The objective of the rehabilitation programme is to return the borrow pit sites to a safe and secure area, which the general public should be able to safely enter. Securing borrow pits in a stable condition is fundamental requirement of the rehabilitation process. This could be achieved by filling the borrow pit approximately to the road level.

a. The Borrow Areas will be rehabilitated by exercising suitable options as follows:

i. *Borrow pits will be backfilled with rejected construction wastes (unserviceable materials) compacted and will be given a turfing or vegetative cover on the surface. If this is not possible, then excavation slope should be smoothened, and depression is filled in such a way that it looks more or less like the original ground surface.*
ii. *During works execution, the Contractor shall ensure preservation of trees during piling of materials; spreading of stripping material to facilitate water percolation and allow natural*

vegetation growth; re-establishment of previous natural drainage flows; improvement of site appearance; digging of ditches to collect runoff; and plantation may be carried out wherever feasible or pit may be developed for water storage as per the Amrit Sarovar Scheme of MoRTH.

iii. *Appropriate endemic plant species for the planting programme should be selected in consultation with the local Forest Department if the area is to be afforested. As seedlings gets progressively established, they should be regularly monitored and mortality replacement be carried out as and when required.*

iv. *The Contractor will keep record of photographs of various stages i.e., before using materials from the location (Pre-project), for the period borrowing activities (Construction Phase) and after rehabilitation (Post development), to ascertain the pre and post borrowing status of the area. Contractor shall obtain approval from the executing agency prior to closing the borrow area.*

b. Development of Amrit Sarovar:

Under Amrit Sarovar Programme, water bodies are being developed by MoRT&H/ NHAI/ other road developmental agencies and the desilting of existing water body is also being taken up for water harvesting and re-charge or ground water. The earth available from development of such water bodies is to be utilised for road works and plantations as per suitability of soil. The State Authorities have already been advised not to levy any royalty for borrowing of earth for development of water bodies under Amrit Sarovar Programme as this would serve as a major milestone in the conservation of water resources and improvement of micro-climate of such areas. It will also augment water availability especially in water stressed areas of the country besides improving rural livelihoods and productivity. This pro- poor and environmentally friendly endeavour will go in a long way in augmenting the water regime in the country. Besides, this will ensure flow of number of 'ecosystem services' for society in the course of development.

(V). Monitoring by Regional Offices of the Ministry of Environment Forest and Climate Change

The concerned Regional Office shall carry out periodic monitoring before, during, and after excavation of ordinary earth for the linear project to ensure that the necessary environmental safeguards have been put in place as per the safeguards prescribed. The extraction of ordinary earth for the linear project shall be monitored till the extraction is carried out. Once the extraction activity is over, the site shall be redeveloped as mentioned above. The concerned Regional Office of the Ministry shall inspect the site and provide a closure report after ensuring the site has been redeveloped satisfactorily. The closure report shall be submitted online on PARIVESH portal along with comparative pre & post photographs and after the same, monitoring by the concerned Regional Office of the Ministry shall not be required. The project proponent shall release the final payment to the contractor only after the closure report is duly submitted by the Regional Office of the Ministry on the PARIVESH portal.

[F.No IA3-22/5/2024-IA.III]
Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE , Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide the notification number S.O. 2215(E), dated the 7th June, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.08.03 16:22:46 +05'30'